प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 17 मई, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश सिंह पुत्र श्री शंकर लाल, निवासी जनपद-मथुरा की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-34619/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-14.09.2022) दिनांक-02.11.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश सिंह पुत्र श्री शंकर लाल, ग्राम-नौगांव, थाना-छाता, जनपद-मथुरा का निवासी है। बृजेन्द्र सिंह (मृतक) द्वारा टाटा-407 गाड़ी खरीदने के लिए रू0-1,50,000/- लोन लिया था, जिसे हड़पने के उद्देश्य से दिनांक 04.06.2007 को बन्दी ने अपने मित्र बृजेन्द्र की ईट मारकर हत्या कर दी तथा ए0टी0एम0 कार्ड लेकर खाते से धन निकाल लिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1057,1058/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302 व 25 ए0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-01, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 02.12.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.03.2022 तक 14 वर्ष, 08 माह, 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष, 05 माह, 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा द्वारा मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, दोनो परिवार के मध्य रंजिश बनी होने व पुन: अपराध करने की प्रबल संभावना होने, बन्दी शातिर किस्म का अपराधी होने व पुन: अपराध करने में अशक्त नही होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी की आख्या से सहमत व्यक्त करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बृजेन्द्र सिंह (मृतक) द्वारा टाटा-407 गाड़ी खरीदने के लिए रू0-1,50,000/- लोन लिया था, जिसे हड़पने के उद्देश्य से दिनांक 04.06.2007 को बन्दी ने अपने मित्र बृजेन्द्र की ईट मारकर हत्या कर ए0टी0एम0 कार्ड लेकर खाते से धन निकाल लेने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राजेश सिंह पुत्र श्री शंकर लाल, निवासी जनपद-मथुरा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश सिंह (बन्दी संख्या-25859) पुत्र श्री शंकर लाल, निवासी जनपद-मथुरा के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाईसेंस पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-229/2023/3602(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-229/2023/3602/22-2-2022-17(1551)/2022

दिनांक 17 मई, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश सिंह पुत्र श्री शंकर लाल, ग्राम-नौगांव, थाना-छाता, जनपद-मथुरा का निवासी है। बृजेन्द्र सिंह (मृतक) द्वारा टाटा-407 गाड़ी खरीदने के लिए रू0-1,50,000/- लोन लिया था, जिसे हड़पने के उद्देश्य से दिनांक 04.06.2007 को बन्दी ने अपने मित्र बृजेन्द्र की ईट मारकर हत्या कर दी तथा ए0टी0एम0 कार्ड लेकर खाते से धन निकाल लिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1057,1058/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302 व 25 ए0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-01, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 02.12.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.03.2022 तक 14 वर्ष, 08 माह, 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष, 05 माह, 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा द्वारा मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, दोनो परिवार के मध्य रंजिश बनी होने व पुन: अपराध करने की प्रबल संभावना होने, बन्दी शातिर किस्म का अपराधी होने व पुन: अपराध करने में अशक्त नही होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी की आख्या से सहमत व्यक्त करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बृजेन्द्र सिंह (मृतक) द्वारा टाटा-407 गाड़ी खरीदने के लिए रू0-1,50,000/- लोन लिया था, जिसे हड़पने के उद्देश्य से दिनांक 04.06.2007 को बन्दी ने अपने मित्र बृजेन्द्र की ईट मारकर हत्या कर ए0टी0एम0 कार्ड लेकर खाते से धन निकाल लेने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राजेश सिंह पुत्र श्री शंकर लाल, निवासी जनपद-मथुरा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।